न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 15/2011

1.स्वामी परसराम शिष्य स्व0 रामनारायण जी रामस्नेही अध्यक्ष सर्व सन्त मत भक्त रामस्नेही गुरू महाराज पूज्य गुरू शिष्य श्री गुलावदास जी श्री रामनारायण जी महाराज रामस्नेही धर्मान्त ट्रस्ट पुष्कर जिला–अजमेर।

....अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला–अजमेर।

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

दिनांक :– 11.1..2016

आदेश

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत 2070 में स्वामी परसराम शिष्य स्व0 रामनारायण जी रामस्नेही अध्यक्ष सर्व सन्त मत भक्त रामस्नेही गुरू महाराज पूज्य गुरू शिष्य श्री गुलाबदास जी श्री रामनारायण जी महाराज रामस्नेही धर्मान्त ट्रस्ट पुष्कर जिला अजमेर ने ग्राम बांसेली के सिवाय चक आराजी नं0 397 में से रकबा 0.48 हैक्टयर पर बाग बगीचा लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आश्य की पटवारी हल्का की रिर्पोट, तहसीलदार पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 14/2013 पंजीबद्ध किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 04.8.2014 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति आरोपित की गई। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.8.2014 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

हमने उभय पक्ष के वकीलो की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य के विपरित होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि को अपीलान्ट द्वारा गौशाला के रूप में काम में लिया जा रहा है जिस पर पेड पौधे लगाये हुए है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि को गौशाला प्रयोजनार्थ आवंटित करवाने हेतु प्रयासरत है। इस तथ्य का जवाब नोटिस प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय को भी अवगत करवा दिया गया था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को नजरअन्दाज कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है। उनका आगे कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जवाब के रहते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 (4 बी) की पालना किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में विवादित भूमि अपीलान्ट द्वारा धार्मिक प्रयोजन से तथा गौ सेवा के कार्य में ली जा रही है। वर्तमान प्रकरण में निहित भूमि के अलावा अन्य भूमि जो उसके समीप ही स्थित है उस पर ट्रस्ट का आश्रम आदि बना हुआ है। इन परिस्थितियों में विवादित भूमि के नियमन बाबत विचार नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अन्त में उन्हौने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावें।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा सिवाय चक भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाग बगीचा लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपील के माध्यम से विवादित भूमि के नियमन हेतु अनुतोष अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से बाग बगीचा लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उनका यह कथन मानने योग्य नहीं है कि विवादित भूमि उनके द्वारा नियमन करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे है। अपने कथनों के समर्थन में उन्हौने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर विधि सम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.1.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर,
अजमेर